न्यायालय नायब तहसीलदार, सीकर
पीठासीन अधिकारी – विकास लाम्बा

पत्रावली संख्या 59/2016

सरकार बनाम बनवारी लाल पुत्र श्री किशन जाति ब्राह्मण निवासी नानी

राजस्थान लेण्ड रेवेन्यू एक्ट 1956 की धारा 91 के अन्तर्गत

निर्णय **दिनांकः– 30.06.2017**

पत्रावली वास्ते निर्णय पेश हुई। अप्रार्थी की ओर से वकील उपस्थित प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया। प्रकरण का अवलोकन किया गया। संक्षिप्त में विवरण इस प्रकार है कि पटवारी हल्का नानी व भू.अ.नि. वृत सीकर से एक रिपोर्ट इस आशय की प्राप्त हुई कि अप्रार्थी बनवारीलाल पुत्र किशन जाति ब्राह्मण निवासी ग्राम नानी ने राजकीय भूमि किस्म गै. मु. रास्ता ख.नं. 224 रकबा 0.09 है. में से 0.03 है. को रास्ते की पश्चिमी सीमा पर मेड़ हटाकर एवं तारबंदी करके अतिक्रमण कर रखा है।

अप्रार्थी को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी की तरफ से वकील हाजिर होकर जवाब प्रस्तुत किया। प्रकरण के क्रम में अप्रार्थी द्वारा एक वाद संख्या 22/2016 उनवानी बनवारीलाल बनाम नजीर खाँ आदि एवं एक आवेदन बाबत अस्थाई व्यादेश संख्या 14/2016 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सीकर के समक्ष प्रस्तुत किया गया जिनमें न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, सीकर द्वारा दिनांक 23.02.2017 को निर्णय किया गया। उक्त निर्णय के विरूद्ध एक अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम निर्णय उपखण्ड अधिकारी सीकर दिनांक 23.02.2017 अन्तर्गत आवेदन संख्या 14/2016 बउनवानी बनवारीलाल बनाम नजीर खां आदि अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, अप्रार्थी बनवारीलाल पुत्र श्री किशनलाल द्वारा न्यायालय राजस्व अपील अधिकारी महोदय, सीकर के समक्ष प्रस्तुत किया गया। माननीय न्यायालय राजस्व अपील अधिकारी महोदय, सीकर के मुकदमा नम्बर 19/2017 व आदेश दिनांक 22.03.2017 के द्वारा उपखण्ड अधिकारी सीकर के निर्णय दिनांक 23.02.2017 की क्रियान्विती को स्थगित रखा गया तथा उभयपक्षों को पाबन्द किया गया कि वह विवादित आराजी ख.नं. 224 की रिकॉर्ड एवं मौके की यथास्थिति बनाए रखें।

न्यायालय राजस्व अपील अधिकारी महोदय के आदेश दिनांक 22.03.17 मु.नं. 217/19 के विरूद्ध एक अपील/निगरानी परसाराम पुत्र जीवण जाति ब्राह्मण निवासी नानी तहसील व जिला सीकर बनाम बनवारी लाल पुत्र किशनलाल जाति ब्राह्मण निवासी नानी तहसील व जिला सीकर द्वारा राजस्व मण्डल अजमेर में प्रस्तुत की गई। माननीय न्यायालय राजस्व मण्डल अजमेर के आदेश दिनांक 01.06.2017 के द्वारा भू. प्रबन्ध अधिकारी पदेन राजस्व अपील अधिकारी सीकर के आदेश दिनांक 22.03.17 की पालना एवं प्रभाव को मण्डल के आगामी पेशी तक स्थगित किया गया। अतः राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर के आदेश की पालना में माननीय राजस्व अपील अधिकारी, सीकर का आदेश दिनांक

Scanned by CamScanner

22.03.17 को स्थगित किया जाने से श्रीमान् उपखण्ड अधिकारी, सीकर का निर्णय दिनांक 23.02.17 प्रभावी हो जाता है।

अतः माननीय न्यायालय राजस्व मंडल के आदेश दिनांक 01.06.17 व श्रीमान् उपखण्ड अधिकारी, सीकर के निर्णय दिनांक 23.02.17 की पालना में आदेश दिया जाता है कि ग्राम नानी के ख.नं. 224 रकबा 0.09 है. में से 0.03 है. को गै.मु. रास्ते की पश्चिमी सीमा पर मेड़ हटाकर एवं तारबन्दी करके अतिक्रमण कर लिया है जिसे बेदखल किया जाता है तथा बतौर जुर्माना लगान 0.27 का पचास गचुना 14/- रू. की जाती है। भू अभिलेख निरीक्षक एवं पटवारी हल्का को लिखा जावे कि अतिक्रमी को सीमाज्ञान कर मौके से बेदखल कर भूमि कब्जे राज नियमानुसार ली जावे।

टीआरए को जमा कायमी व गिरदावर एवं पटवारी हल्का को वसूली एवं मौके से बेदखली हेतु लिखा जावे। पत्रावली फैसल सुमार होकर नम्बर से कम हो।

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।

नायब तहसीलदार, सीकर

Scanned by CamScanner